न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 69 / 2020

उनवान

1. रफीक मौहम्मद पुत्र शौकीन जाति पिनारा, नि0 ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

2. जुम्मा पुत्र गफूर
3. मु. जहूरी पत्नी शौकीन
4. सुल्तान
5. सुलेमान
6. इस्लाम पि0 शौकीन जाति पिनारा, नि0 ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
–– परफोर्मा प्रतिवादीगण :– 2 से 6 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.1.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा की निम्न आराजी वादी व परफोर्मा प्रतिवादीगण के पति / पिता को आवंटन / नियमनशुदा है :–

चौसला खसरा नम्बर	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3934	4218 / 4822	6–10–0	3946 / 6038	0.85
			3941 / 6039	0.20

उपरोक्त आराजी वादी व परफोर्मा प्रतिवादीगण के पति / पिता को कैम्प कानुपरा में आवंटन की गयी जिसका नामान्तकरण संख्या 671 दिनांक 11.02.1983 से खातेदारी दी गयी। वंर्किग जमाबंदी से उक्त तथ्य स्पष्ट है। दौराने बंदोबस्त उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी जिसका राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार नही था। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने [illegible] निवेदन किया कि आवंटन पत्र व राजस्व अभिलेख से वादी स्वयं सिद्व करे की आराजी मुतनाजा [illegible]मनशुदा है। आराजी मुतनाजा को बंदोबस्त विभाग ने सिवायचक दर्ज किया है। [illegible] आराजी पर [illegible] का कोई हक व अधिकार नही है। वादपत्र अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख मे खातेदारी दर्ज थी ?

— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 खातेदारी इन्द्राज के अधिकारी है ?

— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी के बयान दर्ज करवाये। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 3934 वंर्किग खसरा नम्बर 4218 रकबा 6–10 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पूर्वज गफूर व शौकीन पुत्र रहमत के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। उनके द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना किये जाने व आवंटन को 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 671 दिनांक 11.2.83 से खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद वंर्किग जमाबंदी में भी किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा के आंवटन के तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक है जिस पर वादी का कोई हक व अधिकार नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :– ग्राम कानुपरा के चौसाला खसरा नम्बर 3934 रकबा 6–10–0 गफूर व शौकीन पुत्र रहमत को आवंटन हुआ। उक्त आवंटन के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद व आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना किये जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 671 दिनांक 11.2.83 द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 3934 वंर्किग खसरा नम्बर 4218 गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में आवंटी के नाम भी कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वजों कों विधिवत आवंटित हुयी थी। उक्त आवंटन आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चूनौती नही दी गयी है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक बार आवंटन आदेश जारी होने के बाद वह तब तक प्रभावी रहता है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरस्त नही किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख यथा वंर्किग जमाबंदी व नामान्तकरण से उक्त कथनों की ताईद भी होती है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई दस्तावेज भी पेश नही किये है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में गफूर व शौकीन पुत्र रहमत के नाम खातेदारी दर्ज थी। गफूर व शौकीन पुत्र रहमत की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 3946/6038 रकबा 0.85 व 3941/6039 रकबा 0.20 को बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। राज पैरोकार का कथन है कि आराजी [illegible] रिज योग्य है किन्तु प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है [illegible] पर आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज की गयी हो। हाल राजस्व अभिलेख [illegible] आराजी किस कारण से सिवायचक दर्ज की गयी यह राज0 पैरोकार ने [illegible] होने के आधार पर आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद खारिज किया जाना [illegible] है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद के कथनों की ताईद होती है। अतः वादी हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कथनानुसार ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 3946/6038 रकबा 0.85 व 3941/6039 रकबा 0.20 आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। **पक्षकार** खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रफीक मौहम्मद बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92अ राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 69/2020
पेश करने की दिनांक – 05.08.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 3946/6038 रकबा 0.85 व 3941/6039 रकबा 0.20 की आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 9 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद